

पत्र संख्या : 7ब/4701 योज०सं०-06/2018 151

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, देवघर/मेदिनीनगर/हजारीबाग ;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक: 04/02/19

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, उप शीर्ष-54-पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई०आर०एम०, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य विपत्र कोड-49S470180800540545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृतिदेश संख्या-78/15-16, दि०-29.03.2016, 74/15-16, दि०-21.03.2016, 05/16-17, दि०-12.04.2016, 72/17-19, दि०-09.01.2018, 69/16-17, दि०-15.12.2016, 26/17-18, दि०-21.07.2017, 08/17-18, दि०-15.05.2017, 39/17-18, दि०-15.09.2017 एवं 14/17-18, दि०-01.06.2017

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	कुल आवंटन (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / 80-सामान्य/	800-अन्य व्यय/ 54-पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई०आर०एम०	05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य 49S470180800540545	4965.550

आवंटित राशि - ₹ उनचास करोड़ पैसठ लाख पचपन हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2018-19 के बजट उपबंध ₹ 30000.00 लाख (₹ तीन सौ करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि०) दि० 15.07.2003, 1363 दि० 09.05.2016 तथा 2747(वि०), दिनांक-19.09.16 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि०)

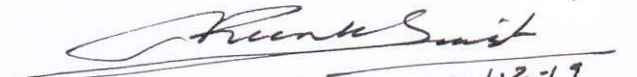
(रमेश कुमार षूवे)
विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 मार्च, 2019 तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साइट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

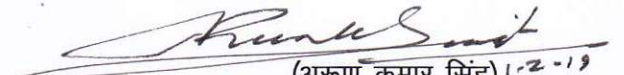

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 151

राँची, दिनांक :- 04/02/19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्डू राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/गोड्डा/देवघर/तेनुघाट/गढ़वा/पलामू सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 151

राँची, दिनांक :- 04/02/19

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव


(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1


(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य

लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय।

उप शीर्ष-54-पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ईआरएम०

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45-निर्माण कार्य

विपत्र कोड- 49S470180800540545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध ₹ 30000.00 लाख (₹ तीन सौ करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				राशि	प्रसंग		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा शिविर महगामा (GDDIR001)	देवधर	गोड्डा जिलान्तर्गत त्रिवेणी वीयर योजना के जीर्णोद्धार तथा मुख्य नहर के चैन सं० 0.00 से 1008 चैन तक पी०सी०सी० लाईनिंग कार्य (ईआरएम०)	6065.500	78/15-16 प्र०स्वी. दिनांक -29.03.2016 Online AA- 2269/26.02.2018	3599.95	1700.00	765.55	2465.55	87705	
योग						3599.95	1700.00	765.55	2465.55		
2	तेनुघाट बाँध प्रमंडल, तेनुघाट (BKRRIR002)	हजारीबाग	गवई बराज योजना के पुनरुद्धार (ERM) कार्य हेतु	13054.400	74/15-16 प्र०स्वी. दिनांक -21.03.2016 Online AA- 2261/26.02.2018	4449.00	2000.00	1200.00	3200.00	87706	
			खुदिया वीयर योजना के पुनरुद्धार (ERM) कार्य हेतु	8515.250	05/16-17 प्र०स्वी. दिनांक -12.04.2016 Online AA- 2262/26.02.2018	3000.00	1500.00	800.00	2300.00	87707	
योग						7449.00	3500.00	2000.00	5500.00		
3	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग (HZBIR008)	हजारीबाग	जमुनिया जलाशय योजना के मुख्य नहरों का लाईनिंग सहित पुनरुद्धार कार्य	2265.000	72/17-18 प्र०स्वी. दिनांक-09.01.2018 Online A.A- 1886/09.01.18	0.000	500.00	300.00	800.00	87708	
योग						0.00	500.00	300.00	800.00		

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि०)

(रमेश कुमार टूबो)

विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)

अभियंता प्रमुख-1

(अरुण कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

विपत्र कोड- 49S470180800540545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध ₹ 30000.00 लाख (₹ तीन सौ करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				राशि	प्रसंग		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	जलपथ प्रमंडल, गढ़वा (GRHARR004)	मेदिनीनगर	मेदिनीनगर प्रक्षेत्राधीन गढ़वा जिलान्तर्गत दानरो जलाशय योजना के ERM कार्य हेतु। फुलवरिया सिंचाई योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य	4028.600 911.620	69/16-17 प्र.स्वी. दिनांक -15.12.2016 Online AA-1938/22.12.16 26/17-18 प्र.स्वी. दिनांक -21.07.2017 Online AA-1008/26.07.17	398.18 0.00	2000.00 0.00	300.00 400.00	2300.00 400.00	87709 87710	
योग						398.18	2000.00	700.00	2700.00		
5	अग्रिम योजना प्रमंडल, पलामू (PLMIR081)	मेदिनीनगर	उपरी कररवार सिंचाई योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य चोरडण्डा वीयर योजना के नहरों का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य बतरे जलाशय योजना के नहरों का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य	2962.000 831.000 926.915	39/17-18 प्र.स्वी. दिनांक - 15.09.2017 Online AA-1312/15.09.17 14/17-18 प्र.स्वी. दिनांक - 01.06.2017 Online AA-764/08.06.17 08/17-18 प्र.स्वी. दिनांक - 15.05.2017 Online AA-607/19.05.17	0.000 0.000 0.000	1000.00 300.00 300.00	600.00 300.00 300.00	1600.00 600.00 600.00	87712 87713 87714	
योग						0.000	1600.000	1200.000	2800.000		
कुल योग						11447.130	9300.000	4965.550	14265.550		

आवंटित राशि - ₹ उन्चास करोड़ पैसठ लाख पचपन हजार मात्र।

(राजेंद्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार सिंह)
विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

1.2.19